बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- /रा० (जिला राजस्व शाखा) दिनांक - 2019

–: सैरात बन्दोवस्ती से संबंधित आम सूचना :–

एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि अरवल जिलान्तर्गत निम्नांकित सैरातों की बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए दिनांक **12.03.2019** को **11.30 बजे पूर्वाह्न में** कंडिका 05 में अंकित पदाधिकारियों के कार्यालय प्रकोष्ठ में होगी। उक्त तिथि को बन्दोवस्ती नहीं होने की स्थिति में पुनः क्रमशः **15.03.2019** एवं **18.03.2019** को 11.30 बजे पूर्वाहन में उपरोक्त निर्धारित स्थल पर होगी।

क्र0	अंचल का नाम	सैरातों के नाम	सुरक्षित जमा राशि (रूपये में)	आम डाक हेतु निर्धारित स्थल
1	2	3	4	5
1	करपी	करपी हाट/बाजार	**1,59,692/-**	अपर समाहर्त्ता, अरवल के कार्यालय प्रकोष्ठ में।
2	कुर्था	P.W.D रोड, कुर्था हाट/ बाजार	**1,07,525/-**	
3	कलेर	वलीदाद हाट/बाजार	**70,359/-**	
4	अरवल	परासी हाट/बाजार	**60,075/-**	अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल के कार्यालय प्रकोष्ठ में।
5	अरवल	प्रसादी इंग्लिश हाट/बाजार	**39,159/-**	

उपरोक्त बड़े सैरातों के अतिरिक्त विभिन्न अंचल स्तर से बन्दोवस्त होने वाले सैरातों की बन्दोवस्ती संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपरोक्त निर्धारित तिथियों के अनुसार होगी। सैरातों की सूची एवं निर्धारित सुरक्षित जमा राशि संबंधित अंचल अधिकारी के सूचना पट्ट पर अवलोकन किया जा सकता है।

(1) बन्दोवस्ती लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निश्चित स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है।

(2) आम डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को संबंधित थाना/अंचल से आचरण प्रमाण–पत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें आम डाक में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

(3) आम डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को सुरक्षित जमा राशि का 10% राशि आम डाक लेने से पूर्व जमा करना होगा। आम डाक की कार्रवाई समाप्त होने के बाद सफल डाकवक्ता को बोली की राशि अविलम्ब जमा करना होगा।

(4) आम डाक की कार्रवाई पूरी होने के बाद उच्चतम् डाकवक्ता की बोली की राशि अविलम्ब जमा करना होगा।

(5) सफल डाकवक्ता को बन्दोवस्ती का एकरारनामा अपने खर्च पर निबंधित करना होगा।

(6) आम डाक की कार्रवाई के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(7) जिनके साथ हाट/सैरात की बन्दोवस्ती की गई उन्हें स्वंय सफाई, रोशनी, पानी की व्यवस्था अपने खर्च से करनी होगी तथ हाट/बाजार के अन्तर्गत सरकार या विघटित बाजार समिति के जरिए बनाए गए रोड, चबुतरा/गोदाम भवन/बोर्ड इत्यादि को देख–रेख की जिम्मेवारी संबंधित ठीकेदार की होगी।

(8) खुली डाक (प्रतिस्पर्द्धा) के समय डाक को स्थगित या रदद् करने की अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(9) समय–समय पर दिए गए आदेश/निदेश का पालन करना अभिकर्त्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

(10) प्रथम उच्चतम् डाक द्वारा स्वीकृत उच्चतम् डाकवक्ता के राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में उनकी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर द्वितीय स्वीकृत उच्चतम् डाकवक्ता के साथ सैरात बन्दोवस्त की जायेगी। यदि द्वितीय डाकवक्ता भी अपनी बोली गई राशि पर सैरात नहीं लेते है तो उनकी भी जमा राशि जब्त कर तृतीय स्वीकृत डाकवक्ता को सैरात बन्दोवस्त की जायेगी। यदि अन्य और भी डाकवक्ता रहेंगे तो क्रमानुसार राशि जमाबंदी तथा प्रतिभूति राशि के जब्तीकरण की यही प्रक्रिया लागू रहेगी।

समाहर्त्ता,
अरवल।